"कार्यालय प्रति"

①

# उत्तराखण्ड
# लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

## जनपद – चमोली

**वृत्त का नामः–** 7 वां वृत्त,लो0नि0वि0, गोपेश्वर

**खण्ड का नाम :–** प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर

**कार्य का नामः–** राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वनभूमि का क्षेत्रफल :– 0.910 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल :– 0.027 हेक्टेयर
0.937 हेक्टेयर

# CHECK LIST

| Sl. No. | Name of the Document | Page No. | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1- Main Attachments** | | |
| 1.1 | Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. | 5. | Attached |
| 1.2 | Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. | 6. | Attached |
| 1.3 | Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. | 7. | Attached |
| 1.4 | Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. | 8. | Attached |
| 1.5 | Note containing justification for locating the Project in forest land. | 9. | Attached |
| 1.6 | Certificate by DM- Forest Right Act-2006 | 10-14 | Attached |
| 1.7 | Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation | — | Attached |
| 1.8 | Colored copy of the google map showing the land identified for CA. | — | Attached |
| 1.9 | If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate | 15-17 | Attached |
| 1.10 | Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. | — | Attached |
| 1.11 | Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases) | — | **Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA** |
| | **1- Additional Documents** | | |
| 2.1 | A short narrative and importance of the project. | 18 | Attached |
| 2.2 | Administrative and Financial sanction. | 19-21 | Attached |
| 2.3 | Preliminary Joint Inspection report. | 22-24 | Attached |
| 2.4 | Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project. | 25-26 | Attached |
| 2.5 | Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum. | 27. | Attached |
| 2.6 | Land schedule | 28-28 | Attached |
| 2.7 | Category wise land length, width and area | 29. | Attached |
| 2.8 | Bar Chart with index | 30. | Attached |
| 2.9 | Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land | 31-34 | Attached |
| 2.10 | Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation | 35. | Attached |
| 2.11 | Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation | 36. | Attached |
| 2.12 | Road side plantation estimate | 37. | Attached |

# CHECK LIST

| Sl. No. | Name of the Document | Page No. | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.13 | Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation | 38. | Attached |
| 2.14 | Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases ) | – | **Not Required** |
| 2.15 | Details of the trees with their scientific name | 39-40-41 | Attached |
| 2.16 | Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided) | – | Attached |
| 2.17 | Certificate from DFO If felling of trees is not involved | – | **Not Required** |
| 2.18 | Certificate of felling minimum trees during the project work | 42. | Attached |
| 2.19 | Muck disposal scheme | 43-55 | Attached |
| 2.20 | Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary | 56. | Attached |
| 2.21 | If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life | 57. | **Not Required** |
| 2.22 | If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF GoI. | – | **Not Required** |
| 2.23 | No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg | 58. | Attached |
| 2.24 | NOC from local Gram Sabhas | 59. | Attached |
| 2.25 | Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation. | – | **Not Required** |
| 2.26 | Component wise details of construction work. | – | **Not Required** |
| 2.27 | Certificate- work has not been started reg. | 60 | Attached |
| 2.28 | Geologist Report | 61-63 | Attached |
| 2.29 | Task Force report | 64-65 | Attached |
| 2.30 | Item wise details of work | | |
| 2.31 | Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition | 66-67 | Attached |
| 2.32 | Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas | 68-69 | Attached |
| 2.33 | No historical/monumental or relegeous place will be effected. | 70. | Attached |
| 2.34 | Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project | 71. | Attached |
| 2.35 | Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project | 72. | Attached |
| 2.36 | Benefited villages/Families/Population Certificate | 73. | Attached |
| 2.37 | NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders | 74. | Attached |
| 2.38 | Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV | 75. | Attached |
| 2.39 | Cost of the forest land and lease rent certificate | 76. | Not Required |
| 2.40 | Certificate of Lease period | – | Not Required |

# CHECK LIST

| Sl. No. | Name of the Document | Page No. | Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.41 | Demarcation of land to be diverted | 77. | Attached |
| 2.42 | Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work | 77 (8) | Attached |
| 2.43 | Non-availibility of non-forest land for compensatory afforastation certificate. | — | **Not Required** |
| 2.44 | Fact sheet . /Other imp details | 78- 106 | Attached |

**Assistant Engineer**
**Provincial Division, PWD**
**Gopeshwar**

**Executive Engineer**
**Provincial Division, PWD**
**Gopeshwar**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

PWD Uttarakhand

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr@rediffmail.com



## To Whome it May Concern to

**Name of Work :- Construction of BacherDhar to Bacher Gaon motor road at Dasoli Block in District Chamoli. Length 3.00 Km. Under State Sector.**

It is state that Mr. Berindra Singh Bartwal, Assistant Engineer, Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar user agenct.

Executive Engineer
Provincial Division P. W. D.
Gopeshwar

# डिजिटल मैप–जनपद चमोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गावं तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

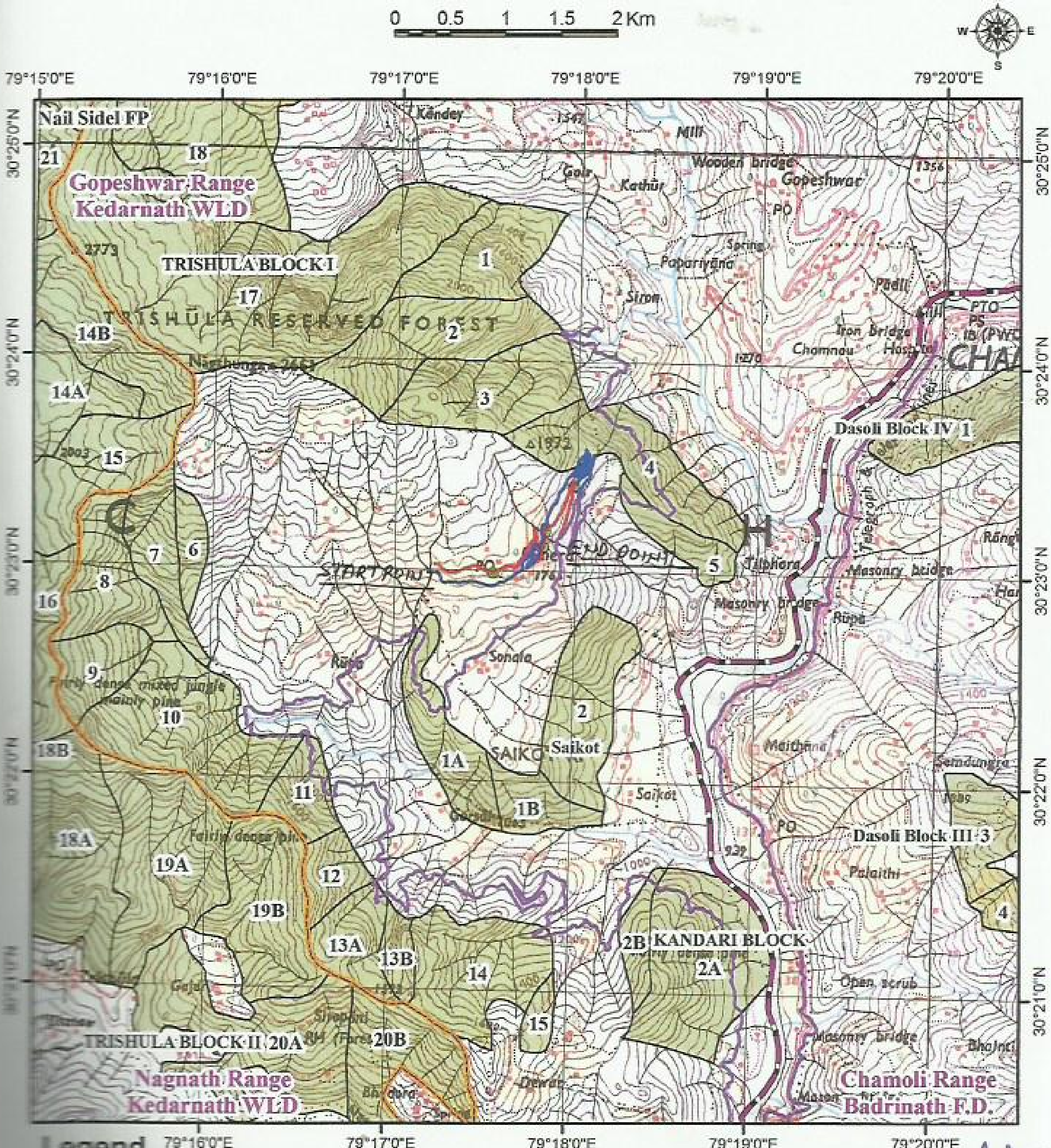


## Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

JoEo

AE

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

ACF

तहसीलदार

## डिजिटल मैप–जनपद चमोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गावं तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

(8) 89

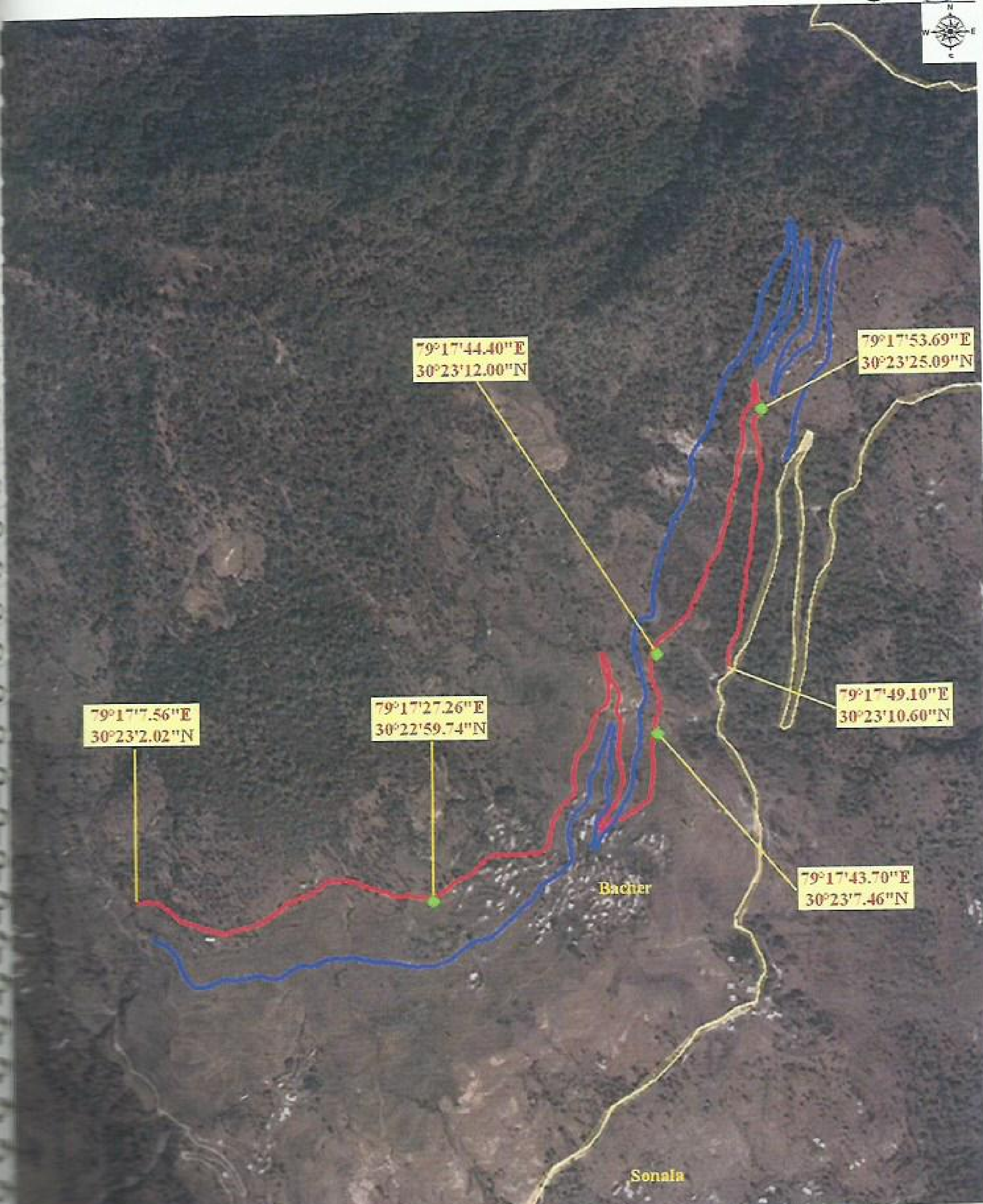


Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road

J.E.O

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

तहसीलदार
(सदर)

# *Justification*

**Name of The Project :-** **Construction of BacherDhar to Bacher Gaon motor road. Under State Sector. Length 3.00 Km**

## Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Bacher have to walk through a distance of 1.50 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

1- Enhance the social and economical development of this area.
2- Migration of people from the village shall be minimized.
3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
5- Local people will find jobs near their village.
6- More women will get employment & will improve their economic situation.
7- Educational development in this area.
8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 0.937 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 0.91 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.

**Assistant Engineer**
**Provincial Division PWD**
**Gopeshwar**

**Executive Engineer**
**Provincial Division PWD**
**Gopeshwar**

10 ~~174~~

ANNEXURE

# OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
# DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 10-03-2015 at time 12.00 hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.137 hect for the construction of Construction of BacherDhat to Bacher Gaon motor road, Under State Sector (CM Announcement) at Dasoli Block in District- Chamoli. 3.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:..10-3-15

जिलाधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

# Government of Uttarakhand
# Office of the District Magistrate : Chamoli

**No. :-** **Dated :-**

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.937Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of BacherDhat to Bacher Gaon motor road, Under State Sector (CM Announcement) at Dasoli Block in District- Chamoli. 3.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

| SN | | Remark |
|---|---|---|
| (A) | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.937Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |
| (B) | The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file. |
| (C) | The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities. | Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. |

Signature
**(District Magistrate Chamoli)**
जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र 232

परियोजना का नामः— जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।

## कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

## अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

## उपखण्ड़ स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि० 03-03-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा० सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार है:—

1— श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी (सदर) अध्यक्ष A K Singh
2— श्री एस० एन० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3— श्री आर० एल० रवनरी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
4— श्री सरजीत लाल बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से मा० सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अंनापत्ति जारी की जाती है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| A K Singh | | | |
| उपजिलाधिकारी<br>अध्यक्ष | उप प्रभागीय वनाधिकारी<br>सदस्य | सहायक समाज कल्याण अधिकारी<br>सदस्य/सचिव | वी.डी.सी.क्षेत्र<br>सदस्य |

सरजीत लाल
सदस्य क्षेत्र पंचायत
गोपेश्वर (चमोली)

DM FRA Letter

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड़ दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण।

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के चमोली के विकास खण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.937 हे0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते है। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओ द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.937 हे0 सिविल एवं आरक्षित भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नही है। ग्राम सभाओ की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत ... दशोली चमोली

हस्ताक्षर प्रधान

प्रपत्र –23.1

दि॰ 01-03-2015 को ग्राम सभा वड़ेर ......... की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

| क्र॰ | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | नाम | हस्ताक्षर ग्रामवासी |
| | अजय पवार | अजय |
| | नीरज राणा | [signature] |
| | रमेश पवार | [signature] |
| | सन्दीप राणा | [signature] |
| | विजय प्रसाद तिवाड़ी | [signature] |
| | कुलदीप पवार | [signature] |
| | गणेश मैठाणी | [signature] |
| | नरेन्द्र सिंह | नरेन्द्र सिंह [भूमिधारक] |
| | कुन्दन सिंह | कुन्दन सिंह |
| | विजय सिंह | [signature] |
| | विनोद सिंह | |
| | प्रमोद सिंह | [signature] |
| | हरीश सिंह | [signature] |
| | गोपाल सिंह राणा – | गोपाल सिंह |
| | सुभद्रा देवी | सुभद्रा देवी |
| | देवी प्रसाद | देवी प्रसाद [भूमिधारक] |
| | विनोद चन्द्र | Vtiwari |
| | कुकुमा सिंह | कुकमा सिंह |
| | सुपाल दास | सुपाल लाल |
| | गजेन्द्र सिंह – | गजेन्द्र सिंह |
| | प्रशान्त प्रसाद मैठाणी | [signature] भूमिधारक |
| | भगवती प्रसाद मैठाणी | [signature] भूमिधारक |
| | शिवराज सिंह नेगी | [signature] |
| | देवेन्द्र सिंह | देवेन्द्र सिंह |
| | गोपाल सिंह पवार – | गोपाल सिंह |
| | जयपाल सिंह पवार – | [signature] |
| | दीपेन्द्र प्रसाद | [signature] |
| | कुन्दन सिंह रावत | [signature] |

PC Dhiasiod [signature] AE

प्रधान ग्राम पंचायत [stamp] दिनांक

Date ________

आज दि. 18.12.2013 को ग्राम सभा बढ़ेर पटवारी क्षेत्र सैंकोट क्षेत्र-दशोली, तहसील व जनपद-चमोली की एक आम आवश्यक बैठक बैठी। जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा लिंक रोड जो कि च्यारी तोक से मल्ला बढ़ेर तक के बावत बैठी जिसमें निम्न लिखित प्रस्ताव पारित किये गये।

प्र०न० (1): सर्व सहमति से सर्व प्रथम समस्त ग्राम वासियों द्वारा लिंक रोड च्यारी तोक से मल्ला-बढ़ेर तक स्वीकृत एवं सर्वे होने पर लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर का हार्दिक अभिवादन किया गया प्रस्ताव सर्व मान्य रहा।

प्र.सं. 2:– सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि किसी भी भूमि-धारक को लिंक रोड कटने पर किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है. प्रस्ताव सर्व मान्य रहा।

प्र०न-3: सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम-सभा की सीविल-भूमि पर किसी व्य या ग्राम-संस्था द्वारा कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव सर्व मान्य रहा।

प्र.न.4:– सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि बैठक की आम सहमति का प्रस्ताव सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय. प्र० सर्व मान्य रहा।

प्र.सं. 5 – अन्त में सभी भूमि धारक अपनी [illegible]

Date

प्र० नं० 6 :- सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक विभाग की आग्रिम कार्यवाही के बाद होगी। प्रस्ताव सर्व मान्य रही।

वन सरपंच ग्राम सभा - बेदर

हस्ताक्षर पार्वती देवी (चमोली)

| नाम | हस्ताक्षर | ग्रामवासी/भूमिधारक |
|---|---|---|
| अनसूया बिष्टी | [illegible] | |
| दुर्गा प्रसाद | [illegible] | |
| सुर सिंह | [illegible] | |
| प्रदीप राणा | Pradeep | |
| कुंजपाल सिंह | [illegible] | भूमिधारक |
| राजदीप सिंह | Rajdeep | |
| महिपाल सिंह | महिपाल सिंह | |
| देवेन्द्र सिंह | [illegible] | |
| जगमोहन सिंह | Jagmohan | |
| सन्दीप पवार | Sandeep | |
| सरजीत पवार | सरजीत सिंह | |
| हिम्मत सिंह | HIMMAT-PANWAR | |
| सोबत सिंह रावत | सोबत सिंह | |
| गिरीश नेगी | गिरीश | |
| नरेन्द्र सिंह | [illegible] | |
| आनन्द पवार | [illegible] | |
| श्यालक सिंह पवार | श्यालकसिंह | |
| अनिल सिंह रावत | Anil | |
| सुधीर पवार | Sudhir Panwar | |
| वीरेन्द्र सिंह पंवार | [illegible] | |

ग्रामवासी / भूमिधारक

| नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|
| अजय पवार | अजय |
| नीरज राणा | [illegible] |
| रमेश पवार | [illegible] |
| सन्दीप राणा | [illegible] |
| विनय प्रसाद तिवाड़ी | [illegible] |
| कुलदीप पवार | [illegible] |
| गणेश मैठाणी | [illegible] |
| चन्द्र सिंह | चन्द्रसिंह [भूमिधारक] |
| कुंवर सिंह | कुंवर सिंह " |
| विजय सिंह | [illegible] |
| विनोद सिंह | [illegible] |
| प्रमोद सिंह | [illegible] |
| हरीश सिंह | [illegible] |
| गोपाल सिंह राणा – | गोपाल सिंह |
| सुभद्रा देवी | सुभद्रा देवी |
| देवी प्रसाद | देवीप्रसाद [भूमिधारक] |
| विनोद चन्द्र | V tiwari |
| कुकमा सिंह | कुकमा सिंह |
| सुखपाल दास | सुखपाल दास |
| गजेन्द्र सिंह | गजेन्द्र सिंह |
| शान्ति प्रसाद मैठाणी | [illegible] भूमिधारक |
| भागवती प्रसाद मैठाणी | [illegible] भूमिधारक |
| शिवराज सिंह नेगी | [illegible] |
| देवेन्द्र सिंह – | देवेन्द्र सिंह |
| गोपाल सिंह पवार – | गोपाल सिंह |
| जयपाल सिंह पवार → | [illegible] |
| दीपेन्द्र प्रसाद | [illegible] |
| कुन्दन सिंह रावत → | [illegible] |

# प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1971 (1)/III-2/13-55 (प्रा0आ0)/2012 दि0 14.03.2013 द्वारा 1.50 किमी0 लम्बाई हेतु टोकन मंनी के रुप में रु0 0.10 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके विरुद्ध मात्र 0.937 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम बछेर हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवित्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नही कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या (7) भी अधिक आ रही है, साथ ही उक्त मार्ग चट्टान पर होने के साथ ही इसके नीचे गांव होने के कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होगा। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 0.937 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 6.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 3.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे0 सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा हैं।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,<br>गोपेश्वर |

19 14

संख्याः– 1648 / III(2)/13–52(सा0आ0)/2012

प्रेषक,

महिना,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 04 मार्च, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 107.27 किमी0 + 04 सेतु सहित पर टी0एं0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 945.87 लाख (₹ नौ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 27 कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹ 2.70 लाख (₹ दो लाख सत्तर हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

महिना

शासनादेश संख्याः- 333 / III(2) / 14-46(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 21 जनवरी, 2014 का संलग्नक

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग से ग्राम घुडसाल, रिखोली तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 1.50 | 26.60 (₹ 8.78 + ₹ 17.82 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| 26 | जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत रानों-क्वींठी मोटर मार्ग से तोली-गेलूंग तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। | 2.50 | 22.73 (₹ 14.63 + ₹ 8.10 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| 27 | जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर-मण्डल मोटर मार्ग से ग्राम ग्वाड़ मोटर मार्ग 2.50 किमी0 लम्बाई में निर्माण। | 2.50 | 44.33 (₹ 14.63 + ₹ 29.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| 28 | जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से ग्राम लासी तक मोटर मार्ग निर्माण। | 2.00 | 35.46 (₹ 11.70 + ₹ 23.76 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| 29 | जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत तपोवन-रींगी-भविष्यबद्री मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से ग्राम सुभाई तक 5.00 कि0मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण। | 5.00 | 78.75 (₹ 29.25 + ₹ 49.50 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| 30 | जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेर-रोपा मोटर मार्ग से रोपा तल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 1.00 | 17.73 (₹ 5.85 + ₹ 11.88 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| 31 | जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्सू के अन्तर्गत ग्राम कोटा से देवप्रयाग-व्यासघाट मोटर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। | 4.00 | 37.08 (₹ 23.40 + ₹ 13.68 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| | योगः- | 145.20 + 03 | 1200.74 | 3.10 |

(कुल ₹ तीन लाख दस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

Photo Copy Attested
AO.E.O

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
पत्रांक 725 / सी.डि. 10-2-2014
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता ... सम्बन्धित कार्यों का सर्वेक्षण ... कार्य प्रारम्भ करनी सुनिश्चित करें।
संलग्न उक्तानुसार। पू० सं० 339/41 यात्रा 7/014 दि० 15/2/14
प्रतिलिपि प्रा-का 27
संलग्न उक्तानुसार
प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर / थराली / गौचर को संलग्नकों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०) वृत्त कार्यालय को संलग्नकों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अधीक्षण अभियन्ता

(21)

(13)



शासनादेश संख्याः–1971 (1)/ III(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | लम्बाई किमी0 में | टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत | चालू वित्तीय वर्ष हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि। |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुडसाल से सैंकोट मोटर मार्ग का निर्माण। | 8.00 | 103.16 | 0.10 |
| 2 | ~~जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।~~ | ~~4.00~~ | ~~50.32~~ | 0.10 |
| 3 | जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में नन्दप्रयाग–देवलखाल मोटर मार्ग का बेडू तक विस्तार। | 0.500 | 6.29 | 0.10 |
| 4 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बमोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण। | 3.00 | 37.80 | 0.10 |
| 5 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मु0मं0घो0 संख्या– 396/2012) | 10.00 | 125.80 | 0.10 |
| 6 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में बौंला से श्रीकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मु0मं0घो0 संख्या– 410/2012) | 2.00 | 25.16 | 0.10 |
| 7 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में गौचर–दुवा–काण्डा मोटर मार्ग का बमेली तक विस्तारीकरण। (मु0मं0घो0 संख्या– 411/2012) | 6.00 | 75.48 | 0.10 |
| 8 | जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में रानपुर चुंगी मण्डी से ग्राम नांगल होते हुए पिरान कलियर तक बाईपास सड़क का निर्माण। | 5.00 + 300 mt brg | 62.44 (38.00 + 24.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–08 के अनुसार) | 0.10 |
| 9 | जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर शरीफ दरगाह के सामने पुरानी गंग नहर पर आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रस्ड सेतु का निर्माण कार्य। (मु0मं0घो0 संख्या– 817/2012) | 95 mt | 10.45 | 0.10 |
| 10 | जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट में आई0टी0आई0 को जाने हेतु खाईबगड़ से चीराबगड के बीच 70 मी0 झुलापुल का निर्माण। | 70.00 mt | 2.80 | 0.10 |
| | योग | 38.50 + 03 brg | 499.70 | 1.00 |

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(नाईमा)

परियोजना का नामः- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरघार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 17-10.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी0एस0 नेगी, अनुभाग अधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री हरीश भण्डारी, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती कुसुम भट्ट, कनिष्ट अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.937हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 एवं नाप भूमि 1.19 हे0 प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृश्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1700 मी0 नाप भूमि.से, 1300 मी0 सिविल भूमि से, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.0 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 1.19 हे0 नाप भूमि 0.91 हे0 सिविल भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.937हे0 वनभूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर ./चुने गये स्थल पर लगभग 234 वृक्ष व नापभूमि 23 बृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1200 मी0 नाप भूमि.से, 1800 मी0 सिविल भूमि, 0.00 मी0 वन पंचायत से 0.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 0.84 हे0 नाप भूमि, 1.26 हे0 सिविल भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.26 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 294 बृक्ष व नापभूमि 19 बृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये सरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी0पी0एस0 मान 79°17'49.10" – E, 30°23'10.6" – N है तथा यह स्थल पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 50 से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल बछेर गांव है, जिसका जी0पी0एस0 मान 79°17'7.56" – E, 30°23'2.02" – N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय-पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा ।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु. चार स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°17'53.69"-E, 30°23'25.09"-N, 79°17'44.40"-E, 30°23'12"-N, 79°17'43.7"-E, 30°23'7.46"-N, 79°17'27.26"-E, 30°22'59.74"-N, हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

वनदरोगा
वनक्षेत्राधिकारी | अमीन | J.E. | सहायक अभियन्ता C.S. | अधिशासी अभियन्ता प्रां0खं0 लो0नि0वि, गोपेश्वर

पटवारी / उ0रा0नि0 तहसीलदार (सदर) चमोली | उपजिलाधिकारी | उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

## पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

| कम सं0 | कम्पार्टमेंट या गांव का नाम बाटनिकल नेम | पेड़ों की प्रजाति | पेड़ों की संख्या | पेड़ों की उम्र या व्यास सेमी0 | वृक्षों की संख्या | | वृक्षों की दर | वृक्षों की कीमत | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | काबिल | नाकाबिल | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ग्राम बछेर :– सिविल | | | | | | | | |
| 1 | GREWIA | भीमल | 10 | 0-10 | | | 50.00 | 500.00 | |
| | OPTIVA RoxB | | 21 | 10-20 | | | 80.00 | 1680.00 | |
| | | | 3 | 20-30 | | | 160.00 | 480.00 | |
| | | | 1 | 30-40 | | | 390.00 | 390.00 | |
| | | | 1 | 40-50 | | | 630.00 | 630.00 | |
| 2 | | पापुलर | 2 | 10-20 | | | 50.00 | 100.00 | |
| | | | 1 | 20-30 | | | 160.00 | 160.00 | |
| 3 | | उतीस | 3 | 10-20 | | | 160.00 | 480.00 | |
| | | | 15 | 20-30 | | | 330.00 | 4950.00 | |
| | | | 14 | 30-40 | | | 550.00 | 7700.00 | |
| | | | 7 | 40-50 | | | 11650.00 | 81550.00 | |
| | | | 6 | 50-60 | | | 18730.00 | 112380.00 | |
| | | | 3 | 60-70 | | | 80.00 | 240.00 | |
| | | | 5 | 70-80 | | | 190.00 | 950.00 | |
| 4 | Andromeda | तिमला | 4 | 0-10 | | | 960.00 | 3840.00 | |
| | | | 5 | 10-20 | | | 50.00 | 250.00 | |
| | | | 2 | 20-30 | | | 80.00 | 160.00 | |
| | | | 2 | 30-40 | | | 160.00 | 320.00 | |
| 5 | Celtis | खड़ीक | 1 | 0-10 | | | 160.00 | 160.00 | |
| | eriocarpa | | 7 | 10-20 | | | 80.00 | 560.00 | |
| | Decaisne | | 6 | 20-30 | | | 80.00 | 480.00 | |
| | | | 1 | 30-40 | | | 80.00 | 80.00 | |
| | | | 1 | 40-50 | | | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 1 | 50-60. | | | 145.00 | 145.00 | |
| | | | 1 | 60-70 | | | 225.00 | 225.00 | |
| 6 | | माल्टा | 7 | 10-20 | | | | | |
| 7 | Juglans regia | अखरोट | 1 | 10-20 | | | | | |
| | | | 1 | 20-30 | | | | | |
| 8 | | ठेलका 1 | ! | 0-10 | | | | | |
| | | | 6 | 10-20 | | | | | |
| | | | 3 | 20-30 | | | | | |
| 9 | | पयां | 1 | 20-30 | | | | | |
| 10 | Prunus persica | आडू | 1 | 10-20 | | | | | |
| 11 | | पदम | 1 | 10-20 | | | | | |
| 12 | | पोलम ? | 1 | 10-20 | | | | | |
| 13 | Quercus | बांज | 6 | 0-10 | | | | | |
| | leucotrichophora | | 24 | 10-20 | | | | | |
| | Camus ex | | 11 | 20-30 | | | 485.00 | 5335.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 30-40 | | | 2580.00 | 5160.00 | |
| | | | 1 | 60-70 | | | 240.00 | 240.00 | |
| 14 | PINUS | चीड़ | 7 | 10-20 | | | 600.00 | 4200.00 | |
| | ROXBURGII | | 12 | 20-30 | | | 2330.00 | 27960.00 | |
| | | | 6 | 30-40 | | | 5070.00 | 30420.00 | |
| | | | 2 | 40-50 | | | 18660.00 | 37320.00 | |
| | | | 1 | 70-80 | | | 80.00 | 80.00 | |
| 15 | | काफल | 1 | 10-20 | | | 80.00 | 80.00 | |
| 16 | | मेहल | 4 | 10-20 | | | 160.00 | 640.00 | |
| | | | 7 | 20-30 | | | 390.00 | 2730.00 | |
| | | | 1 | 30-40 | | | | | |
| 17 | CUPRESSUS | सुरई | 1 | 10-20 | | | | | |
| 18 | | अंगू | 1 | 0-10 | | | 130.00 | 130.00 | |
| 19 | | खांगीस? | 1 | 20-30 | | | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | योग :– | 234 | | | | | 332855.00 | |

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभि.

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
(नन्दप्रयाग)
चमोली

उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मण्डल रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

DATE,TIME 30/05 11:45
FAX NO./NAME 01364233204
DURATION 00:03:34
PAGE(S) 05
RESULT OK
MODE STANDARD

TIME : 30/05/2014 11:48
NAME : EE PWD GOPESHWAR
FAX : 01372252122
TEL : 01372252122
SER.# : T071964O442

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यवरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।

| | | | |
|---|---|---|---|
| अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रां० खं० लो०नि०वि०,<br>गोपेश्वर |

## वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल, वन पंचायत वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

उपजिलाधिकारी,

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

लैण्ड शैडयूल ~~आरक्षित~~ आरक्षित

## राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में बछेर धार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

| जनपद का नाम | वन प्रभाग | राजि कार्यालय | क0सं0 | याचित क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| चमोली | केदारनाथ वन्य जीव-पभाग | गोपेश्वर | रिक्त | रिक्त |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

## लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 1.19 हे0 नाप, 0.937हे0 सिविल एवं 0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी0 चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा।

1700 मी0 x 7 मी0 = 11900 वर्ग मी0 - 1.19 हे0 नाप वनभूमि
1300 मी0 x 7 मी0 = 9100 वर्ग मी0 - 0.910 हे0 सिविल वनभूमि

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
(तहसीलदार)
चमोली

उपजिलाधिकारी,

## बार चार्ट

कार्य का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

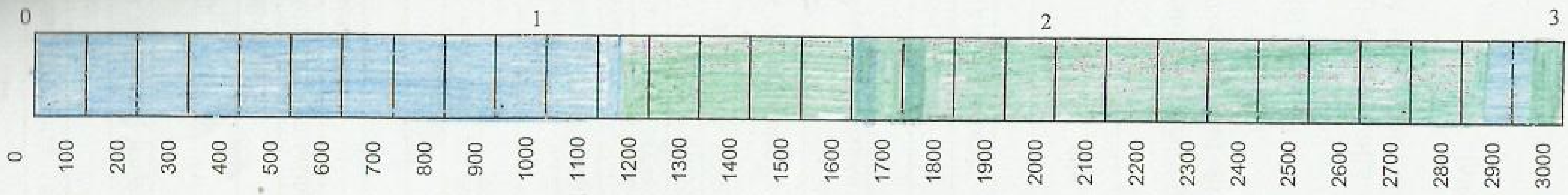


संकेत

- सिविल वन भूमि
- नाप वन भूमि
- वन पंचायत

अमीन

वन क्षेत्राधिकारी गोपेश्वर

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

ACF.

अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

30

# रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

1– परियोजना का नामः– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

2– वृक्षारोपण स्थल का नाम :–

3– क्षेत्रफल :– है0

4– रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:– 3.00 किमी0 2340 ✓

5– रोपित किये जाने वाली प्रजातियां:–

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | मात्रा | इकाई | इकाई दर (रू0) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्यः– | | | | |
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन | 0 | Hec | 78.00 | 0.00 |
| 2 | स्थल की सफाई कार्य | 0 | Hec | 2543.00 | 0.00 |
| 3 | कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग ( 150 मी॰/हे॰ = 81 घन मी॰ / 172 घन मी॰ | 0.000 | hect | 15309.00 | 0.00 |
| 4 | भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य के आधार पर मानते हुए | | | | |
| | 1 वानस्पतिक – 4X 4588 = 18352.00 | | | | |
| | 2 स्टोन चैकडैम 4X 4588 = 18352.00 | | | | |
| | 3 वाटर हावेस्टिंग टेंक (3 X2.50X10.00) 4X 5140 = 20560.00 | | | | |
| | योग = 57264.00 | 0.000 | hect | 5726.40 | 0.00 |
| 5 | गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेंखाकन चूना सहित | 2340 | No | 5.42 | 12682.80 |
| 6 | निरीक्षण बटिया | 0.000 | Hect | 624.00 | 0.00 |
| 7 | पोधों की कीमत | 2340 | No | 4.30 | 10062.00 |
| 8 | अन्य व्यय, यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व अन्य कार्यो पर व्यय | 0.000 | Hect | 624.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग प्रथम चरणः– | | | | 23244.80 |
| (2) | द्वितीय वर्ष रोपण कार्यः– | | | | |
| 1 | गढढा भरान कार्य डी0ए0पी0 मिलाने सहित | 2340 | No | 0.97 | 2269.80 |
| 2 | पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष | 2340 | No | 1.20 | 2808.00 |
| 3 | पौध ढुलान कार्य | 2340 | No | 6.00 | 14040.00 |
| 4 | पौध रोपण कार्य | 2340 | No | 1.89 | 4422.60 |
| 5 | पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य | 2340 | No | 1.29 | 3018.60 |
| 6 | खाद व दवा पर व्यय | 2340 | No | 1.00 | 2340.00 |
| 7 | प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की दख–रेख व रखरखाव पर व्यय (8 माह) | 0.000 | Hect | 468 | 0.00 |

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | मात्रा | इकाई | इकाई दर (रू0) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलशील पदार्थो कोहटाना प्रति हे0 | | L.S. | | 1000 |
| | सुरक्षा/दीवार टी गार्ड के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ कना | | L.S. | | 2000.00 |
| | वक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरुता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रत्साहन देना | | L.S. | | 1000.00 |
| 9 | अन्य व्य साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डक्यूमेंट्री आदि कार्य | | L.S. | | 1000.00 |
| 10 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | **योग द्वितीय चरण:–** | | | | 34399.00 |
| | **कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष चरण:–** | | | | 57643.80 |
| | **वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रखरखाव :–** | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य, 3.71 हे0 | | | | |
| 1 | पौधे की लागत | 234 | podhe | 5.50 | 1287.00 |
| 2 | पौधा ढुलान कार्य | 234 | podhe | 6.00 | 1404.00 |
| 3 | पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य | 234 | podhe | 3.20 | 748.80 |
| 4 | गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित | 234 | podhe | 1.33 | 311.22 |
| 5 | पौधों की शीतकालीन मल्चिन | 234 | podhe | 1.11 | 259.74 |
| 6 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.000 | hect | 468/hect/ month | 0.00 |
| 7 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | | L.S. | | 2000.00 |
| 2 | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0 | | L.S. | | 1000.00 |
| | ट्री गार्ड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना | | L.S. | | 2000.00 |
| | वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरुकता हेतु प्रशिक्षण एवं अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्ति/समितियों को प्रोत्साहन देना | | L.S. | | 1000.00 |
| 3 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | **योग:–** | | | | 10510.76 |
| | **द्वितीय चरण (रख–रखाव कार्य)** | | | | |
| 1 | रोपन वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य, | 0.91 | Hect | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | मात्रा | इकाई | इकाई दर (रू0) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | योग चतुर्थ चरणः– | | | | 6116.00 |
| | तृतीय चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग चतुर्थ चरणः– | | | | 6116.00 |
| | चतुर्थ चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग चतुर्थ चरणः– | | | | 6116.00 |
| | पंचम चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग पंचम चरणः– | | | | 6116.00 |
| | षष्ठम चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग षष्ठम चरणः– | | | | 6116.00 |
| | सप्तम चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग सप्तम चरणः– | | | | 6116.00 |
| | अष्ठम चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग अष्ठम चरणः– | | | | 6116.00 |
| | नवम चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | मात्रा | इकाई | इकाई दर (रू0) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | योग नवम चरणः– | | | | 6116.00 |
| | दसम चरण (रख–रखाव कार्य) | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरांत रखरखाव व अनुरक्षण कार्य | 0.91 | Hect. | 468.00 | 5616.00 |
| 2 | अन्य कार्य | | L.S. | | 500.00 |
| | योग दसम चरणः– | | | | 6116.00 |
| | कुल योग तृतीय चरण से दसम चरण तकः– | | | | 65554.76 |
| | महायोगः– | | | | 123198.56 |

Say .. Rs. 1.23 Lac

वन क्षेत्राधिकारी

उपवन संरक्षक

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम:- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ग्राम बछेर में 0.937हे0 सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

| | | |
|---|---|---|
| वन क्षेत्राधिकारी<br>गोपेश्वर रेंज<br>केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग | उप प्रभागीय वनाधिकारी<br>गोपेश्वर उप वन प्रभाग<br>गोपेश्वर | उप वन संरक्षक<br>केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग<br>गोपेश्वर (चमोली) |

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.937 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात 0.937 हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

# रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

| स्थल का नाम | वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी॰ | प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण | दर प्रति किमी॰ लाख में | धनराशि (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण | 3.00 | पौधे का मूल्य – 100 पौधे रोपण कार्य, ट्री गार्ड का ढुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण | 1.23 | 3.69 |

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

A.C.F.

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

J.E.　　　　A.E.　　　　अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची।

कार्य का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

| क्रम0 सं0 | कक्ष / ग्राम का नाम | पेडों की प्रजाति | पेडों की संख्या | व्यास | दर | पेडों का मूल्य | वृक्षों का वैज्ञानिक नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बछेर सिविल | भीमल | 10 | 0–10 | 58.56 | 585.6 | Grewia optiva Roxb |
| | | | 21 | 10–20 | 98.49 | 2068.29 | |
| | | | 3 | 20–30 | 107.81 | 323.43 | |
| | | | 1 | 30–40 | 214.29 | 214.29 | |
| | | | 1 | 40–50 | 508.44 | 508.44 | |
| | | पापुलर | 2 | 10–20 | 214.229 | 428.458 | Populus |
| | | | 1 | 20–30 | 332.75 | 332.75 | |
| | | उतीस | 3 | 10–20 | 214.29 | 642.87 | *Alnus nepalensis D.Don.* |
| | | | 15 | 20–30 | 428.58 | 6428.7 | |
| | | | 14 | 30–40 | 721.4 | 10099.6 | |
| | | | 7 | 40–50 | 1462.77 | 10239.39 | |
| | | | 6 | 50–60 | 2865.64 | 17193.84 | |
| | | | 3 | 60–70 | 3935.77 | 11807.31 | |
| | | | 5 | 70–80 | 5067.12 | 25335.6 | |
| | | तिमला | 4 | 0–10 | 58.56 | 234.24 | *Ficus roxburghii Wall.* |
| | | | 5 | 10–20 | 98.49 | 492.45 | |
| | | | 2 | 20–30 | 107.81 | 215.62 | |
| | | | 2 | 30–40 | 214.49 | 428.98 | |
| | | खडीक | 1 | 0–10 | 58.56 | 58.56 | *Celtis eriocarpa Decaisne* |
| | | | 7 | 10–20 | 98.49 | 689.43 | |
| | | | 6 | 20–30 | 107.81 | 646.86 | |
| | | | 1 | 30–40 | 214.29 | 214.29 | |
| | | | 1 | 40–50 | 508.44 | 508.44 | |
| | | | 1 | 50–60 | 886.45 | 886.45 | |
| | | | 1 | 60–70 | 1012.89 | 1012.89 | |
| | | माल्टा | 7 | 10–20 | 98.49 | 689.43 | *Citrus aurantium Linn.* |
| | | अखरोट | 1 | 10–20 | 252.89 | 252.89 | *Juglans regia Linn.* |
| | | | 1 | 20–30 | 1245.82 | 1245.82 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ठेलका | 1 | 0—10 | 58.56 | 58.56 | *Ficus nemoralis Wall* |
| | | 6 | 10—20 | 98.49 | 590.94 | |
| | | 3 | 20—30 | 107.81 | 323.43 | |
| | पदम | 1 | 10—20 | 89.49 | 89.49 | *Prunus cerasoides D.Don.* |
| | | 1 | 20—30 | 107.81 | 107.81 | |
| | आडू | 1 | 10—20 | 98.49 | 98.49 | *Prunus persica Benth& Hook* |
| | पोलम | 1 | 10—20 | 98.49 | 98.49 | *Polam* |
| | बाँज | 6 | 0—10 | 58.56 | 351.36 | *Quercus leucotrichophora* |
| | | 24 | 10—20 | 175.69 | 4216.56 | |
| | | 11 | 20—30 | 272.86 | 3001.46 | |
| | | 2 | 30—40 | 584.31 | 1168.62 | |
| | | 1 | 60—70 | 3118.53 | 3118.53 | |
| | चीड | 7 | 10—20 | 234.26 | 1639.82 | *Pinus roxburghii* |
| | | 12 | 20—30 | 702.77 | 8433.24 | |
| | | 6 | 30—40 | 2669.99 | 16019.94 | |
| | | 2 | 40—50 | 5981.51 | 11963.02 | |
| | | 1 | 70—80 | 24241.5 | 24241.5 | |
| | काफल | 1 | 10—20 | 98.49 | 98.49 | *Myrica esculenta* |
| | मेहल | 4 | 10—20 | 98.49 | 393.96 | *Pyrus pashia* |
| | | 7 | 20—30 | 107.81 | 754.67 | |
| | | 1 | 30—40 | 214.29 | 214.29 | |
| | सुरई | 1 | 10—20 | 146.41 | 146.41 | *Cupressus torulosa* |
| | अंगू | 1 | 0—10 | 137.09 | 137.09 | *Fraxinus micrantha* |
| | खागीस | 1 | 20—30 | 107.81 | 107.81 | *Swada macrophylla* |
| योग | | 234 | | Total | **171204.70** | |
| | | | | Say | **171205.00** | |

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

# वृक्षों का सारांश बांज प्रजाति

कार्य का नाम :— राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरघार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

| कम सं० | भूमि का प्रकार | पेड़ों की प्रजाति | व्यासवार वर्ग विवरण | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-> | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ग्राम बछेर सिविल | भीमल | 10 | 21 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
| 2 | | पापुलर | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | | उतीस | - | 3 | 15 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | - | - | 53 |
| 4 | | तिमला | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5 | | खड़ीक | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 18 |
| 6 | | माल्टा | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | | अखरोट | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | | ठेलका | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 | | पयां | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | | आड़ू | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | | पदम | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | | पोलम | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | | बांज | 6 | 24 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 44 |
| 14 | | चीड़ | - | 7 | 12 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 28 |
| 15 | | काफल | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | | मेहल | - | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 17 | | सुरई | - | 1 | -- | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | | अंगू | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | | खांगीस | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | महायोग — | | 23 | 92 | 63 | 27 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 234 |

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

JE

AE

अधिशासी अभियन्ता
E.E.
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

# न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

**परियोजना का नाम :-** राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

# MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

1- **Construction of BacherDhar to Bacher Gaon motor road. Under State Sector.**

2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Annexure -I

**Name of Work :-** **Construction of BacherDhar to Bacher Gaon motor road. Under State Sector.**

| Sl. No. | Item | No. | L | B | H | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material received from hill side cutting taking 80% of total quanitity | | | | | | |
| | | (1x1/2x3000x7x3)x80% | | | | 25200.00 | Cum |
| 2 | Swell Factor | Taking 40% of total quantity | | | | 10080.00 | Cum |
| | | | | **Total Muck -** | | **35280.00** | **Cum** |
| | | **DISPOSAL AND USE OF MATERIALS** | | | | | |
| 1 | R.R. stone masonry 1:6 | 1x80 | 15.00 | (0.60+1.27)/2 | 2.00 | 2244.00 | Cum |
| 2 | R.R. stone masonry laid in Dry | 1x80 | 20.00 | (0.60+1.27)/2 | 2.00 | 2992.00 | Cum |
| 3 | H.P. stone filling | 1x80x1/3 | 20.00 | (1+.5)/2 | 1.50 | 600.00 | Cum |
| 4 | P/L of wire creat wall | 1x100 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 675.00 | Cum |
| 5 | C/O parapets | 1x300 | 3.00 | 0.60 | 0.45 | 243.00 | Cum |
| 6 | Granular sub base/base/ surface | 1x1 | 2000.00 | 3.75 | 0.10 | 26250.00 | Cum |
| | | | **Total Used Materials :-** | | | **33004.00** | **Cum** |
| | | | | | | | |
| | **Material Disposal by Cartage in Dumping Yard** | | | | | **2276.00** | **Cum** |

**LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL**

| Sl. No. | Location of dumping yard | Size of dumping yard | Type of land | capacity of dumping yard | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X.S. 0/12 | 45x6x3.50 | Civil | 945.00 | cum |
| 2 | X.S. 1/6 | 45x6x3.50 | Naap | 945.00 | |
| 3 | X.S. 1/15 | 45x6x3.50 | Naap | 945.00 | |
| 4 | X.S. 1/38 | 45x6x3.50 | Naap | 945.00 | |
| | | | **Total-** | **2835.00** | **Cum** |

**SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL**

| Sl. No. | Total Dabries | Material diposed by Cartege | Reused materials (road construction) | Total Disposal in Dumping Zone | Balance Dabries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35280.00 | 2276.00 | 33004.00 | 2276.00 | 0.00 |

JE AE

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

Annexure -II

# Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

| Sl. No. | Chainage | Name of Land Owner & Village | Land in Hec. | Land in Sqm | Land area being used for dumping yard (sum) | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X.S. 0/12 | Uttarakhand Govt. Land | 0.020 | 3370.00 | 270.00 | 79°17'53.69" E | 30°23'25.09" N |
| | | | 0.020 | | | | |
| 2 | X.S. 1/6 | Sri Abbal Das | 0.091 | 910.00 | 270.00 | 79°17'44.40" E | 30°23'12" N |
| | | | 0.091 | | | | |
| 3 | X.S. 1/15 | Sri Vinod Chand | 0.128 | 1280.00 | 270.00 | 79°17'43.7" E | 30°23'7.46" N |
| | | | 0.128 | | | 79°17'27.26" E | 30°22'59.74" N |
| 4 | X.S. 1/38 | Sri HariKrishna | 0.098 | 980.00 | 270.00 | | |
| | | | 0.098 | | | | |
| | | Grand Totla- | 0.337 | 0.000 | 1080.000 | | |
| | | | | or | 0.108 | Hec. | |

JDEo

AoEo

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

गक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन

वृक्षोरोपण स्थल का नाम– मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित किये जाने वाले पौधौं की सं. (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौधे) = 216

प्रथम चरण

| क्र.सं. | कार्य का नाम | मात्रा | यूनिट | दर रू में | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन | 0.108 | hect | 78.00 | 8.42 |
| 2 | स्थल सफाई कार्य | 0.108 | hect | 2543.00 | 274.64 |
| 3 | कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग ( 150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी. | 0.108 | hect | 15309.00 | 1653.37 |
| 4 | गडढा खुदान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित | 216.00 | Gaddha | 5.420 | 1170.72 |
| 5 | डी.ए.पी. खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गढा) | 5.40 | kg | 19.00 | 102.60 |
| 6 | निरीक्षण बटिया बनाना (400 रू प्रति हे.) | 0.11 | hect | 624.00 | 67.39 |
| 7 | पौधे की कीमत प्रथम वर्ष | 216.00 | podhe | 4.30 | 928.80 |
| 8 | भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे.) के आधार पर मानते हुए | | | | 0.00 |
| | 1 वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 ˣ 4588 = 36700.00 | | | | 0.00 |
| | 2 वाटर हावेस्टिंग टेंक (3 X2.50X1.00) 5X 5140 = 25700.00 | | | | 0.00 |
| | योग = 62400.00 | 0.108 | hect | 62400.00 | 6739.20 |
| | योग प्रथम चरण– | | | | **10945.15** |
| | द्वितीय चरण– | | | | |
| 1 | झाडी कटान (लेन्टाना गाजर घास/ काला बांस) | 0.108 | hect | 1287.00 | 139.00 |
| 2 | गडढा भरान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित | 216.000 | Gaddha | 0.97 | 209.52 |
| 3 | पौधा ढुलान कार्य | 216.000 | podhe | 6.00 | 1296.00 |
| 4 | पौधा रोपण व थाला बन्दी | 216.000 | podhe | 1.89 | 408.24 |
| 5 | पौधे की प्रथम निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य | 216.000 | podhe | 1.29 | 278.64 |
| 6 | पौधे की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य | 216.000 | podhe | 1.11 | 239.76 |
| 7 | पौधे की कीमत द्वितीय वर्ष | 216.000 | podhe | 1.20 | 259.20 |
| 8 | प्रथम वर्ष में देख रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह) | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 454.90 |
| 9 | अन्य कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | **योग द्वितीय चरण–** | | | | **3318.73** |
| | **तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे.** | | | | |
| 1 | पौधे की लागत | 216.00 | podhe | 5.50 | 1188.00 |
| 2 | पौधा ढुलान कार्य | 216.00 | podhe | 6.00 | 1296.00 |
| 3 | पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य | 216.00 | podhe | 3.20 | 691.20 |
| 4 | गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित | 216.00 | podhe | 1.31 | 282.96 |
| 5 | पौधों की शीतकालीन मल्चिन | 216.00 | podhe | 1.11 | 239.76 |
| 6 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 7 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग तृतीय चरण | | | | 4337.93 |
| | चतुर्थ चरण (रखरखाव कार्य) | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग चतुर्थ चरण | | | | 640.01 |
| पंचम चरण (रखरखाव कार्य) | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग पंचम चरण | | | | 640.01 |
| छठवा चरण (रखरखाव कार्य) | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग छठवां चरण | | | | 640.01 |
| सातवा चरण (रखरखाव कार्य) | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग सातवां चरण | | | | 640.01 |
| आठवा चरण (रखरखाव कार्य) | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग आठवां चरण | | | | 640.01 |
| नौवां चरण (रखरखाव कार्य) | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग नौवां चरण | | | | 640.01 |
| दसवां चरण (रखरखाव कार्य) | | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदार 12 माह | 0.108 | hect | 468/hect/ month | 606.53 |
| 2 | अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य | 0.108 | hect | 310.00 | 33.48 |
| | योग दसवां चरण | | | | 640.01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कुल धनराशि | प्रथम चरण | | 10945.15 |
| | द्वितीय चरण | | 3318.73 |
| | तृतीय चरण | | 4337.93 |
| | चतुर्थ चरण | | 640.01 |
| | पंचम चरण | | 640.01 |
| | छठवां चरण | | 640.01 |
| | सातवां चरण | | 640.01 |
| | आठवां चरण | | 640.01 |
| | नवम चरण | | 640.01 |
| | दसवा चरण | | 640.01 |
| | कुल योग | | 23081.87 |
| | | say | 23082.00 |

JoEO वन क्षेत्राधिकारी AoFo

**राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में बछेर धार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु मलवा निस्तारण योजना।**

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में बछेर धार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० गोपेश्वर के द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन किया गया तथा संतोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गई।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधें अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

Vinod Ch

नाम– विनोदचंद्र

पिता का नाम– श्री अयोध्याप्रसाद

ग्राम– बछेर

क्रास सेक्शन 115- 1/24 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री विनोदचंद्र पुत्र श्री अयोध्याप्रसाद ग्राम बछेर ........पटवारी वृत्त सैंकोट तहसील एवं जिला–चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्र०सं० | खाता सं० | खसरा नम्बर | भूमि (हे० में) |
|---|---|---|---|
| | विनोदचन्द्र | 2422 | 0.053 |
| | | 2423 | 0.075 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

प्रधान ग्राम पंचायत बछेर वि० ख० दशोली चमोली
पत्रांक
दिनांक

उप राजस्व निरीक्षक

DW FRA Letter

# अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधें अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

हरिकृष्ण तिवारी

नाम– हरिकृष्ण

पिता का नाम– श्री श्यामादत्त

ग्राम– बछेर

क्रास सेक्शन..............................पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री.......हरिकृष्ण.......पुत्र श्री.......श्यामादत्त.......ग्राम.......बछेर.......पटवारी वृत्त.......सैंकोट.......तहसील एवं जिला–चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्र॰सं॰ | खाता सं॰ | खसरा नम्बर | भूमि (हे॰ में) |
|---|---|---|---|
| | | 503 हरिकृष्ण तिवारी | 0.094 |
| | | 504 | 0.004 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

प्रधान ग्राम पंचायत बछेर, वि॰ ख॰ दशोली, चमोली
दिनांक........

उप राजस्व निरीक्षक

DM NOC Letter

# मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थल,

कार्य का नाम :- बघेरधार से बघेरगावँ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

स्थल सं० -1

स्थल संख्या -2

J.E.

मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थल :-

स्थल सं०-3

स्थल सं०-4

J.E.          A.E.          E.E.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

कार्य का नाम :- जनपद चमोली मे बछेरधार से बछेरगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण,

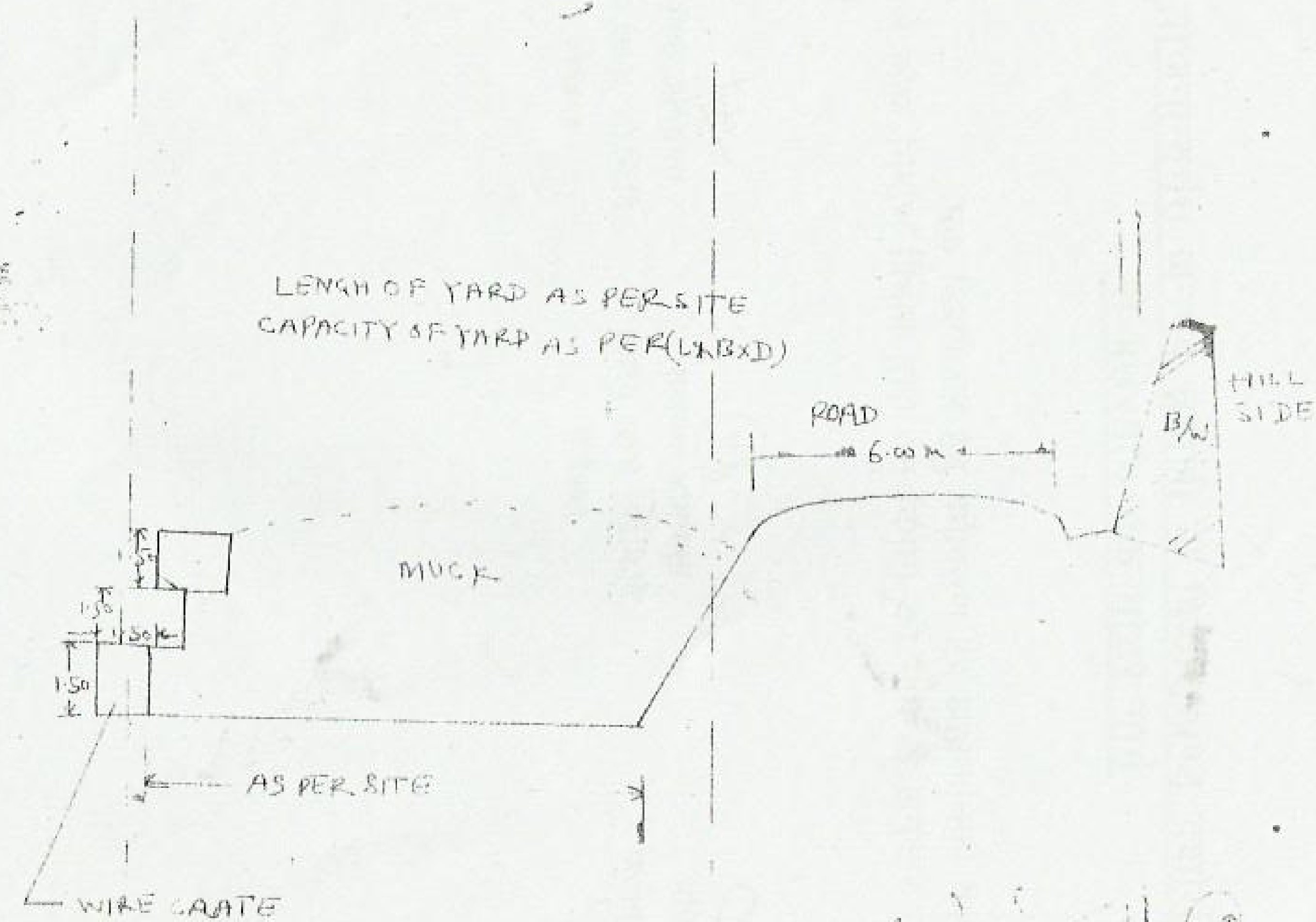


TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

J.E

J.E.

A.E.

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

54

72

# राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>प्रांतीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,<br>गोपेश्वर | सहायक अभियन्ता<br>प्रांतीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,<br>गोपेश्वर | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रांतीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,<br>गोपेश्वर |

परियोजना का नामः- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यरण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग/मार्ग से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की दूरी 6.00 किमी0 है।

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

# वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत बछेर धार से बछेर गाँव तक मोटर मार्ग प्रस्तावित स्थल केदारनाथ वन्य जीव विहार की सीमा से 10 किमी के अन्दर आता है। प्रस्तावित संरेखण की केदारनाथ वन्य जीव विहार की सीमा से न्यूनतम हवाई दूरी लगभग 6.00 किमी है।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

# वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है ।

प्रधान

# कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तानान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

(61)

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
जिला टास्क फोर्स, चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार),
गोपेश्वर।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः 146 / जि0टा0फो0 / सड़क–मोटर मार्ग / 2014–15, दिनांक 3 मई 2014

विषयः जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक लगभग 3.000 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 52 / संयुक्त निरीक्षण, दिनांक 11.03.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली / रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आपके सुलभ संदभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / सड़क–मोटर मार्ग / 2014–15, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक / कार्यालयाध्यक्ष, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Photo Copy Attested.

AoEo

भूवैज्ञानिक।

सत्य प्रतिलिपि
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0 वि0
गोपेश्वर

# जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक लगभग 3.000 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 52/संयुक्त निरीक्षण, दिनांक 11.03.2014, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक लगभग 3.000 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती कुशुम भट्ट, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह, वर्क एजेंट, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की उपस्थिति में भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण स्थल गोपेश्वर–पोखरी मोटर मार्ग के लगभग कि0मी0 16.000 से हिल साईड/उत्तरपश्चिम से निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। मोटर मार्ग समरेखण की लम्बाई शासनादेश के अनुसार 4.000 कि0कमी0 स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई वर्तमान समय मे लगभग 03.000 कि0मी0 प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण मे मार्ग का ग्रेड निर्माण हेतु 1:20 रखा गया है जिसमें तीन एच0पी0 बैण्ड्स के निर्माण के साथ मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण वन भूमि व निजी भूमि के मध्य भूभाग से होकर गुजारा जाना प्रस्तावित है।

उक्त मोटर मार्ग समरेखण लगभग एक ही पहाड़ी ढाल के दक्षिणपूरब फेसिंग पर किया जाना है। उक्त के मध्य कतिपय स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप मे अवस्थित है व कतिपय स्थल मृदा व चट्टानों के मिश्रित मलवे के रूप मे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। समरेखण मे स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल $20^0$–$45^0$ दक्षिणपूरब फेसिंग के साथ दृष्टिगोचर होता है जो कि समरेखण के कतिपय स्थलों पर इससे अधिक व कम तीव्रता के पहाड़ी ढालों के रूप मे विद्यमान है। मृदा का रंग भूरा व कतिपय स्थलों पर स्लेटी प्रकृति की दृष्टिगोचर हो रहा है।

उक्त सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण भूगर्भीय साहित्य मे गढ़वाल समूह की चट्टानों मे वर्गीकृत किया गया है जिसमें मुख्यतः क्वार्टजिटिक, शिष्टोज क्वार्टजिटिक, फिलाईट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। समरेखण के मध्य क्वार्टजिटिक व कतिपय स्थलों पर क्लोरिटिक शिष्ट प्रकृति की चट्टानें दृष्टिगोचर हो रही हैं जो कि निचले भूभाग पर अवस्थित गोपेश्वर–पोखरी मोटर मार्ग के अपस्लोप मे दृष्टिगोचर हो रही हैं। उक्त समरेखण मे चट्टानों की प्रसार व नति $140^0/45^0$ दक्षिणपश्चिम विद्यमान है जो कि कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल के ऑबलिक विद्यमान है।

**0.000 कि0मी0–1.000 कि0मी0 तक :**

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण लगभग गोपेश्वर–पोखरी मोटर मार्ग के अपस्लोप पर किया जाना प्रस्तावित है जिसमें एक हेयरपिन बैण्ड के साथ मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाएगा। उक्त के मध्य क्वार्टजिटिक व शिष्ट प्रकृति की

सत्य प्रतिलिपि (112) Photo Copy Attested

**चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक लगभग 3.000 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या**

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, के पत्रांक 52/संयुक्त निरीक्षण, दिनांक 11.03.2014, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक लगभग 3.000 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमती कुशुम भट्ट, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह, वर्क एजेंट, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की उपस्थिति में भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :–

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण स्थल गोपेश्वर–पोखरी मोटर मार्ग के लगभग कि0मी0 16.000 से हिल साईड/उत्तरपश्चिम से निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। मोटर मार्ग समरेखण की लम्बाई शासनादेश के अनुसार 4.000 कि0कमी0 स्वीकृत है। उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई वर्तमान समय मे लगभग 03.000 कि0मी0 प्रस्तावित है। मोटर मार्ग समरेखण मे मार्ग का ग्रेड निर्माण हेतु 1:20 रखा गया है जिसमें तीन एच0पी0 बैण्ड्स के निर्माण के साथ मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण वन भूमि व निजी भूमि के मध्य भूभाग से होकर गुजारा जाना प्रस्तावित है।

उक्त मोटर मार्ग समरेखण लगभग एक ही पहाड़ी ढाल के दक्षिणपूरब फेसिंग पर किया जाना है। उक्त के मध्य कतिपय स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप मे अवस्थित है व कतिपय स्थल मृदा व चट्टानों के मिश्रित मलवे के रूप मे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। समरेखण मे स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल $20^0$–$45^0$ दक्षिणपूरब फेसिंग के साथ दृष्टिगोचर होता है जो कि समरेखण के कतिपय स्थलों पर इससे अधिक व कम तीव्रता के पहाड़ी ढालों के रूप मे विद्यमान है। मृदा का रंग भूरा व कतिपय स्थलों पर स्लेटी प्रकृति की दृष्टिगोचर हो रहा है।

उक्त सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण भूगर्भीय साहित्य मे गढ़वाल समूह की चट्टानों मे वर्गीकृत किया गया है जिसमें मुख्यतः क्वार्टजिटिक, शिष्टोज क्वार्टजिटिक, फिलाईट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। समरेखण के मध्य क्वार्टजिटिक व कतिपय स्थलों पर क्लोरिटिक शिष्ट प्रकृति की चट्टानें दृष्टिगोचर हो रही हैं जो कि निचले भूभाग पर अवस्थित गोपेश्वर–पोखरी मोटर मार्ग के अपस्लोप मे दृष्टिगोचर हो रही हैं। उक्त समरेखण मे चट्टानों की प्रसार व नति $140^0/45^0$ दक्षिणपश्चिम विद्यमान है जो कि कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल के ऑबलिक विद्यमान है।

**0.000 कि0मी0–1.000 कि0मी0 तक :**

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण लगभग गोपेश्वर–पोखरी मोटर मार्ग के अपस्लोप पर किया जाना प्रस्तावित है जिसमें एक हेयरपिन बैण्ड के साथ मोटर मार्ग समरेखण का निर्माण किया जाएगा। उक्त के मध्य क्वार्टजिटिक व शिष्ट प्रकृति की

सत्य प्रतिलिपि Photo Copy Attested

## Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,<br>गोपेश्वर

## मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिथ्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है

5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगें, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा

7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौंधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा अपलब्ध करायी जायेगी ।

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।

11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर ष्एलाइनमेंटष् तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्रप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है । इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिर्वाय प्रतीत होता है , जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोंनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये ।

उपरोक्त शर्ते लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

## योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रुप से मान्य है ।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

## भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता

प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

## मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में पडने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते है ।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
तहसीलदार (सदर) ।
चमोली।

उपजिलाधिकारी,

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

अमीन    कनिष्ठ अभियन्ता    सहायक अभियन्ता    अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नामः- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

# लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित होंगें

| क्रम सं° | ग्राम का नाम | परिवारों की संख्या | 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | बछेर | 465 | 1062 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | योग :- | 465 | 1062 |

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

**परियोजना का नामः**—जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

## एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित ववन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नॉनुसार हैः–

1– इको–क्लास की श्रेणी............................V

2– हरियाली का धनत्व............................... 0.5

3–एन0पी0वी0 की दर ................................9,39,000

4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल............. 0.937

5–कुल देय एन0पी0वी0......................रू0 8,79,843.00(आठ लाख उन्नासी हजार आठ सौ तैतालीस रू0)

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

# एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में बृध्दि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

## वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937हेक्टेयर सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹ 75000/- प्रति नाली की दर से कुल रु0 3513750=00 निर्धारित है।

अमीन    कनिष्ठ अभियन्ता    सहायक अभियन्ता    अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी    तहसीलदार    उपजिलाधिकारी,

तहसीलदार (सदर) चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

# सीमांकन प्राक्कलन

कार्य का नाम :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

| स्थल का नाम | वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी॰ | प्रस्तावित ~~रोपण~~ कार्य का विवरण | दर प्रति किमी॰ लाख में | धनराशि (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण | आर0सी0आर0 पिलर (मुनारा) बनाना, 1:6 सीमेंट मय प्लास्टर करना, दो कोट चूना सफेदी | 3.00 | 0.12 | 0.36 |

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग

ACF

परियोजना का नामः–　　राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

अमीन　कनिष्ठ अभियन्ता　　सहायक अभियन्ता　　अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

लागू नहीं



परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ~~गड्डेरा~~ बढ़ेर में 0.937हेक्टयेर सिविल वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो स्थल चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उपवन संरक्षक

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

## फैक्ट सीट

1 कार्य का नाम :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

2 प्रस्तावत भूमि का वैघानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे॰) :–

| | |
|---|---|
| आरक्षित वन भूमि – | -- |
| सिविल एवं सोयम वनभूमि – | 0.937 |
| वन पंचायत वन भूमि – | |
| निजी भूमि – | 1.19 |
| **योग –** | **2.127** |

3 प्रस्तावक विभाग का नाम :– प्रां॰खण्ड, लो॰नि॰वि॰, गोपेश्वर

4 वन प्रभाग का नाम :– अलकनन्दा वन प्रभाग, गोपेश्वर

5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है – हां / ~~नहीं~~

6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है – हां / ~~नहीं~~

7 क्या भारत सरकार के प्रारुप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है – हां / ~~नहीं~~

8 क्या प्रारुप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है – हां / ~~नहीं~~

9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है – हां

10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरेक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है – —

13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रुप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है – हां / ~~नहीं~~

15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है – हां / ~~नहीं~~

17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है – ~~हां~~ / नहीं

19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है – ~~हां~~/ नहीं

यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है – ~~हां / नहीं~~

20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है – हां / ~~नहीं~~

21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है – (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) नया मार्ग ~~हां / नहीं~~

22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग–2 रंगों से भरा है – हां / ~~नहीं~~

23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है – हां / ~~नहीं~~

24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन हुआ है – — — नहीं

25 यदि उल्लघंन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। — —

26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं – हां / ~~नहीं~~

27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) लागू नहीं ~~हां / नहीं~~

28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रुप में प्रस्तुत है – ~~हां / नहीं~~ लागू नहीं

(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरुपता है – हां / ~~नहीं~~

30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं – हां / ~~नहीं~~

32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं – हां / ~~नहीं~~

33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी हे तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है – ——— लागू नहीं

34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है – हां / ~~नहीं~~

35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है – हां / ~~नहीं~~

36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं – हां / ~~नहीं~~

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

अधिशासी अभियन्ता

## परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

### भाग – 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1– परियोजना विवरण :–

| | |
|---|---|
| (1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षितप्त विवरण | राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखंड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव |
| (2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप | मानचित्र संलग्न है। |
| (3) परियोजना की लागत | रु0 50.32 लाख |
| (4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य | उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ ग्राम बछेर को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है। |
| 5– प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय) | संलग्न है। |
| 6– निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा – | विषय सूची के अनुसार । |

तिथि – 27.2.15

स्थान – गोपेश्वर

J.E.    A.E.

(वीरेन्द्र जौहरी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या :–

(प्राप्त करने की तारिख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी हैं)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....................

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या – ....................

**7– परियोजना/स्कीम का स्थान –** बछेर

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र — उत्तराखण्ड

(2) जिला — चमोली

(3) वन प्रभाग — अलकनन्दा वन प्रभाग, गोपेश्वर

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0)

(5) वन की कानूनी स्थिति — सिविल/वन पंचायत वन भूमि

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलगन की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. – 2 मी0 पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मी0 भी संलगन किये जायं — सूची संलग्न है।

(8) (1)भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी — भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिर्जव, बाघ रिर्जव, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायं) — नहीं

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें। — नहीं

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोइ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमांण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। — नहीं

8– प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। — हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। — नहीं<br>नहीं

**10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –** प्रांकलन संनग्न

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार — मानचित्र पर उल्लिखत है

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप — संलग्न है

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी,समय,अनुसूची, लागत,ढांचा आदि — संलग्न है

| | |
|---|---|
| (4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तय परिव्यय | संलग्न है |
| (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) | संलग्न है |
| <u>11–</u> जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 ,ण्एण्ब्द्व 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें। | संलग्न है |
| <u>12– विभाग/जिलाप्रोफाइल :–</u> | |
| (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र – | 751955 हे0 |
| (2) जिले का वन क्षेत्र – | 497100 हे0 |
| (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र | |
| (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | |
| (क) दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर | |
| (5) .................... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | |
| (क) वन भूमि पर | |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर | |
| <u>13–</u> प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश | वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है |

तिथि – 02.03.2015

स्थान – गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम ..........................................)

सरकारी मोहर

J.E.

A.E.

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

भाग – 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारिख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम ........................................................................)

सरकारी मोहर

J.E.  A.E.  E.E.

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17– टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम ..........................................................)

सरकारी मोहर

भाग – 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

**18–** राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि –

स्थान –

हस्ताक्षर

(नाम ..............................................................)

सरकारी मोहर

# न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल/वन पंचायत वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

उपजिलाधिकारी,

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर ... प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

## शर्त सहमति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

## गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937है0 सिविल वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता प्रां0 खं0 लो0नि0वि0, गोपेश्वर

पटवारी | तहसीलदार (सदर) चमोली | उपजिलाधिकारी,

वन [illegible]कारी
[illegible]
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

## मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

कार्य का नाम :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव .

| चैनेज मीटर में | लम्बाई मीटर में | भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे0 में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | नाप भूमि | सिविल भूमि | आरक्षित भूमि | वन पंचायत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1150 | 1150 | -- | 0.805 | -- | -- |
| 1150-1600 | 450 | 0.315 | | -- | -- |
| 1600-1650 | 50 | -- | 0.035 | -- | -- |
| 1650-1675 | 25 | 0.018 | -- | -- | -- |
| 1675-1700 | 25 | -- | 0.018 | -- | - |
| 1700-1725 | 25 | 0.018 | -- | -- | - |
| 1725-1750 | 25 | -- | 0.018 | -- | - |
| 1750-2875 | 1125 | 0.788 | | -- | - |
| 2875-2950 | 50 | -- | 0.035 | -- | - |
| 2950-300 | 75 | 0.053 | -- | -- | - |
| | | -- | -- | -- | - |
| **Total -** | **3000** | **1.190** | **0.910** | -- | - |

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

## खसरे की नकल

कार्य का नाम :– राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

| क्रम सं0 | खसरा नम्बर | कुल रकवा हे0 में | खाता नम्बर | नाम भूमिधर | लिया गया रकवा हे0 | भूमि किस्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ग्राम बछेर सिविल :– | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 842 म0 | 1.170 | 36 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.020 | जंगल | |
| | 2907 म0 | 0.080 | 36 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.010 | जंगल | |
| | 2974 म0 | 0.040 | 37 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.040 | भीटा | |
| | 2986 म0 | 0.261 | 15 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.020 | भीटा | |
| | 2995 म0 | 0.271 | 38 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.020 | चारागाह | |
| | 2999 म0 | 0.189 | 38 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.020 | चारागाह | |
| | 3013 म0 | 16.940 | 20 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.530 | बंजर | |
| | 3282 म0 | 4.309 | 39 | उत्तराखण्ड सरकार | 0.250 | गौचर | |
| | [illegible] जल | | | | 0.027 | | |
| | | 23.260 | | योग :– | 0.937 | | |
| | | | | | | | |

पटवारी    तहसीलदार (सदर) चमोली    उपजिलाधिकारी

अमीन    कनिष्ठ अभियन्ता    सहायक अभियन्ता    अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

## वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937 हे0 सिविल वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

# उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।

J.E.

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

# अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

<u>स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र</u>

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता प्रां० खं० लो०नि०वि०, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी गोपेश्वर रेंज केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग | उप प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर उप वन प्रभाग गोपेश्वर | उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग (चमोली)

# सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.937है0 सिविल वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।

| अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता<br>प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,<br>गोपेश्वर |
|---|---|---|---|

| वन क्षेत्राधिकारी<br>गोपेश्वर रेंज<br>केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग | उप प्रभागीय वनाधिकारी<br>गोपेश्वर उप वन प्रभाग<br>गोपेश्वर | गोपेश्वर (चमोली) |
|---|---|---|

## चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरुप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

अमीन | कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता, प्रां0 खं0 लो0नि0वि0, गोपेश्वर

<u>परियोजना का नाम :-</u> <u>राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव</u>

## <u>पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
गोपेश्वर रेंज
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम :- राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

| क्रम सं0 | ग्राम का नाम | खसरा नबर | वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे0 में) |
|---|---|---|---|
| 1- | ग्राम बछेर | × | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | सम्पूर्ण योग :- | | 0.91 हेक्टयेर |

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में घ्वेराधार से बद्रेगाव तक मो० मार्ग का निर्माण

79

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में बडेरगार से [illegible] तक मोटर मार्ग का निर्माण

AE

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

105

जनपद चमोली मे बढेरघार से बढेरगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण :-